(वाद सं0–11/4/2/2021)

18.04.2022

परिवादी, सत्यदेव यादव के पुत्र, इन्द्रजीत कुमार, अपने विद्वान अधिवक्ता, श्री बबन प्रसाद, के साथ उपस्थित है।

परिवादी के पुत्र व उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, जयराम पासवान द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों का दुरूपयोग करने व उपयुक्त अधिनियम की धारा–12 (4) के अन्तर्गत पीड़ित परिवार को जिला कल्याण कार्यालय द्वारा प्रदत सरकारी सहायता का ठगी करने व कमीशन लेने के संबंध में है।

उपरोक्त पर पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद, से प्रतिवेदन की माँग की गई। पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद द्वारा, परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में उल्लेखित उपरोक्त कथित, जयराम पासवान, द्वारा संस्थित सभी कांडों के अनुसंधान का विस्तृत विवरण समर्पित किया गया।

पुलिस प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि लगभग सभी कांडों में पुलिस द्वारा आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा कुछ मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका है।

अब जबकि प्रसंगाधीन मामले से संबंधित कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाए।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक